न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या – 8 / 24 दायरा दिनांक 14.03.2024
GCMS 2024/22

पीठासीन अधिकारी :– श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

कल्याण पुत्र सांवलिया जाति चमार निवासी बिची तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.)
– अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

राजस्थान सरकार जर्ये सहायक वन संरक्षक, बारां जिला बारां (राजस्थान) – रेस्पोंडेन्ट

<u>अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट</u>

<u>निर्णय</u> दिनांक :– **25.10.2024**

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट के तहत सहायक वन संरक्षक, बारां के प्रकरण संख्या 02 / 2021 निर्णय दिनांक 24.02.2022 के विरुद्ध पेश की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को वनखण्ड बिची, ग्राम मझेरा की आराजी खसरा नम्बर 7 रकबा 4.48 हैटेयर पर अतिक्रमी मानकर 2500/– जुर्माना, फसल कीमत 50000/– एवं बेदखली के आदेश दिये हैं तथा पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए एक माह की सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है। अपीलान्ट का कथन है कि उक्त निर्णय प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं कानून के खिलाफ होने से निरस्तनीय है।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई।

वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराने के साथ साथ यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम मझेरा की आराजी खसरा नम्बर 7 रकबा 4.48 हैक्टेयर वन भूमि पर मिथ्या तथ्यों के आधार पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर एक माह के सिविल कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित करते हुये फसल कीमत आरोपित कर नियम एवं कानून का स्पष्ट उल्लघंन किया है। पत्रावली पर अतिक्रमी अथवा पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने बाबत् कोई साक्ष्य मौजूद नहीं होते हुये भी अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित कर नियमों का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलान्ट को ग्राम मझेरा की भूमि खसरा नम्बर 7 रकबा 4.48 हैक्टेयर पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना बतलाया है। जबकि नोटिस खसरा संख्या 16 के दिये है उक्त दोनों ही तथ्य विरोधाभाषी तथा नितान्त असत्य एवं आधारहीन है। क्योंकि अपीलान्ट का मझेरा की किसी भी वनभूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। ग्राम मझेरा में अपीलान्ट तथा परिजनों के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 8/1 रकबा 10 बीघा भूमि किस्म वारानी चतुर्थ स्थित है। जिस पर अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से निरन्तर काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के खाते व काब्जे काश्त की उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 8/1 को खसरा संख्या 7 की वन भूमि बतलाते हुये बिना सुने एकतरफा सजायाब आदेश पारित किया है।

हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील के तर्कों पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट का कथन हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम मझेरा की आराजी खसरा नम्बर 7 रकबा 4.48 हैक्टेयर वन भूमि पर मिथ्या तथ्यों के आधार पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर एक माह के सिविल कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित करते हुये फसल कीमत आरोपित कर नियम एवं कानून का स्पष्ट उल्लघंन किया है। पत्रावली पर अतिक्रमी अथवा पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने बाबत् कोई साक्ष्य मौजूद नहीं होते हुये भी अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित कर नियमों का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलान्ट को ग्राम मझेरा की भूमि खसरा नम्बर 7 रकबा 4.48 हैक्टेयर पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना बतलाया है। जबकि नोटिस खसरा संख्या 16 के दिये है उक्त दोनों ही तथ्य विरोधाभाषी तथा नितान्त असत्य एवं

Scanned with OKEN Scanner

आधारहीन है। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से पाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा संख्या 16 में अतिक्रमी की कार्यवाही की तथा निर्णय में खसरा संख्या 7 रकबा 4.48 हेक्ट. पर अतिक्रमी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना हैं। जो सही नहीं हैं। उक्त दोनों ही तथ्य विरोधाभाषी तथा आधारहीन है। पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे पश्चातवर्ती अतिक्रमी सिद्ध होता हो।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर अतिक्रमी की कार्यवाही तथा निर्णय में खसरा नम्बर के विरोधाभाष की जांच कर कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तदनुसार कार्यवाही हेतु वापिस भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जबर सिंह)
अतिरिक्त कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Scanned with OKEN Scanner